संख्या-02/2023/1587/दो-2-2022-28/2(42)/2022

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023**

विषय:- श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0 (से.नि-31-12-2022 के पेंशन,राशिकरण,उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,अपर आयुक्त(प्रशासन)झाँसी मण्डल,झाँसी जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31.12.2022** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण उपादान प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सर्वेश कुमार के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान का प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना से शासन को यथासमय अवगत कराते हुए, श्री सर्वेश कुमार की सेवा पुस्तिका मूलरूप में इरला वेतन पर्ची अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

संलग्नक:-पेंशन प्रपत्र/सेवा पुस्तिका मूलरूप में।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,से0नि0, पता-प्लाट नं0-02, अशरुफ विहार कॉलोनी, चिनहट(नियर एल्डिको तिराहा),लखनऊ-226028 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(रजिस्टर्ड)

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या- 02/2023/1587(1)/दो-2-2022-28/2(42)/2022
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,अपर आयुक्त(प्रशासन),झाँसी मण्डल,झाँसी जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31.12.2022** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,से0नि0, पता-प्लाट नं0-02, अशरुफ विहार कॉलोनी, चिनहट(नियर एल्डिको तिराहा),लखनऊ-226028 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या- 02/2023/1587(।।)/दो-2-2022-28/2(42)/2022
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0, अपर आयुक्त(प्रशासन),झाँसी मण्डल,झाँसी जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**31-12-2022** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन ।

2- श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,से0नि0, **पता-**प्लाट नं0-02, अशरुफ विहार कॉलोनी,चिनहट(नियर एल्डिको तिराहा), लखनऊ-226028 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (रजिस्टर्ड)

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या- 02/2023/1587(।।।)/दो-2-2022-28/2(42)/2022
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023

आदेश

श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या-**जी0ए0यू0-73594** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री सर्वेश कुमार,से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-21/मिलान डायरी-329/58822/73796,दिनांक 18/28.11.2022 के अनुसार वर्ष 2021-2022 तक कुल जमा धनराशि रू0 52,49,569/- (रू0 बावन लाख उनचास हजार पॉच सौ उनहत्तर मात्र) जिसमें माह 3/22 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-47, 24, 612 /-(रू0 सैंतालीस लाख चौबीस हजार छः सौ बारह मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री सर्वेश कुमार के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-प्रथम-(निधि-21)
2- **आयुक्त, झॉसी मण्डल,झॉसी** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री सर्वेश कुमार, पी0सी0एस0 **तत्कालीन अपर आयुक्त(प्रशासन),झॉसी मण्डल,झॉसी सम्प्रति सेवानिवृत्त** के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।**(रजिस्टर्ड)**
3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, झॉसी। (रजिस्टर्ड)**
4- श्री सर्वेश कुमार,पी0सी0एस0,से0नि0, **पता-**प्लाट नं0-02, अशरुफ विहार कॉलोनी,चिनहट(नियर एल्डिको तिराहा), लखनऊ-226028 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in